

फर्द प्रहकाम

(नियम 26)

ज जहागत जिला कलेक्टर मुकाम टोंक
 हामिद अली याम उप रण्ड मजिस्ट्रेट टोंक
 फिरोज मुकदमा अपील नं. 75 सन् 9-12-73

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख प्रहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9 $\frac{12}{2013}$	<p>आदिभाषक अपीलान्त उपस्थित। प्रकरण सेमाअत अदालत है। पत्रावली दर्ज रजिस्ट्र हो। तलब की जरिये नोटिस रीपोर्टेड है तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब होकर दिनांक 17-2-14 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर टोंक</p>	<p>18 12/11/14</p>
17 $\frac{2}{14}$	<p>आदिभाषक अपीलान्त उपस्थित। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब होकर दिनांक 28-4-14 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर टोंक</p>	
28 $\frac{4}{14}$	<p>आदिभाषक संच द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखवा। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब नहीं की गई। अब तलब होकर दिनांक 16-6-14 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर टोंक</p>	
16 $\frac{6}{14}$	<p>इसकाबत व. इ. रण्ड मजिस्ट्रेट टोंक जिला कलेक्टर के द्वारा आदिभाषक संच को न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब होकर दिनांक 14-7-14 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर टोंक</p>	

तारीख
वृत्त

हवम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

नम्बर
वह
हवम
में

9 5
19

अभिनाथक अपीलान्त उप-। ओबोदिर
शीर्षक पेश करने हेतु सफल रहने
हे। कान्ते पेश करने ओबोदिर शीर्षक
पत्रावली दिनांक 17-7-19 को पेश है।

जिला कलेक्टर
टांक

17 7
19

अभिनाथक अपीलान्त उप-। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। अपील, उपर्युक्त
मजिस्ट्रेट टांक के आदेश 10-3-2008 किन्हे
द्वारा अपीलान्त का शरूअ अनुसूच
निरस्त किया गया था, उसके विरुद्ध
पेश की गई थी। अपीलान्त की मृत्यु
दिनांक 2-11-13 को हो चुकी है। मृत्यु पत्र
जब पत्रावली में संलग्न है। प्रकरण को
पल्लो जाने का कोई ओबोदिर नहीं है।
अतः अपील अपीलान्त अस्वीकार
की जाती है। पत्रावली निर्णित शुक्र
दोहर बाद लुकील जाण्टा दायिर दफ्तर
की जावे।

जिला कलेक्टर
टांक